Export of fish and meat

2070. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the total amount of foreign exchange earned through the exports of fish and meat during the years 1985-86, 1986-87 and till January, 1988; and

(b) whether there has been any increase or decrease in the foreign exchange earnings through the exports of these items during these years and what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) and (b) The total amount of foreign exchange earned through export of fish and meat since 1985-86 and the quantum of increase/decrease are given below:—

	Fish	Meat (Rs. in Crore)
1985-86	398.00	73 95 (P)
1986-87	460.67(+62.67)	72 02(—1.93) (P)
	Apr. 87— Jan. 88	Apr.—Dec.1987
	410.38(+19.75) (P)	64.43(+9 88) (P)
	Apr. 86—Jan. 87	Apr.—Dec. 1986
	390.63	54 55 (P)

(P)l—Provisional

(Source : For Fish—MPEDA, Cochin
For Meat—APEDA, New Delhi.

राज्यों को सूखा प्रतिकार

2071. श्री मीर्जा इर्शादबेग :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रतिकार के लिये अब तक कितनी धनराशि राज्यवार खर्च की गयी और इस संबध में भावी योजना क्या है ;

(ख) सरचार्ज से कितनी राशि प्राप्त हुई, इसे किस अवधि में उपलब्ध कराये जाने की संभावना है और कुल कितनी धनराशि के वसूल किये जाने की संभावना है ; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में किस-किस तरीके से धनराशि के आवंटन किये जाने की योजना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) सूखा राहत के लिये स्वीकृत व्यय की राज्यवार अधिकतम सीमा तथा वर्ष 1987–88 के दौरान 14-3-988 तक प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है (नीचे देखिये) ।

(ख) अप्रैल से दिसम्बर, 1987 तक अधिकार के रूप में कुल 15.29 करोड़ रूपये की राशि उगाही गई है, जिसमें नया लगाया गया सूखा अधिभार भी शामिल है । उपर्युक्त में से, सूखे के लिये लगाये गये अधिभार के कारण केवल व्यक्तिगत आयकर से ही उगाही गई रकम 4.74 करोड़ रूपये बनती है । अनुमान है कि इस कारण उगाही गयी कुल रकम 210 करोड़ रूपये होगी । इसमें से अधिकांश रकम चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् 1987–88) के दौरान 31-3-1988 तक अग्रिम कर के रूप में अथवा स्रोत पर कटौती करके अदा कर दिये जाने की संभावना है । परवर्ती वित्तीय वर्षों में जब कभी कर-निर्धारण पूरे किये जायेंगे, तो कुछ इस प्रकार की बची-खुची रकमें निकलेंगी ।

(ग) सूखा अधिभार के रूप में उगाही गई अग्रिम कर की रकम केन्द्रीय

सरकार के सामान्य राजस्व में अन्तरित कर दी जायेगी । सामान्य राजस्व में से राज्यों को सूखा राहत के लिये केन्द्रीय सहायता का निर्धारण सामान्य प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो उन्हें 8वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दे दी जाती है ।

विवरण

सूखे के लिए व्यय की स्वीकृत अधिकतम सीमा तथा 1987-88 के दौरान 14 मार्च, 1988 तक प्रदान की गई राशि

(रुपये करोड़ों में)

राज्य	स्वीकृत अधिकतम सीमायें	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता		
		सीमारहित धन	अग्रिम योजनागत सहायता	जोड़
1. आन्ध्र प्रदेश . .	94.08	—	20.17	20.17
2. गुजरात . .	288.41	14.37	183.82	198.19
3. हरियाणा . .	37.28	2.25	28.47	30.72
4. हिमाचल प्रदेश . .	18.71	—	7.24	7.24
5. जम्मू व कश्मीर . .	18.98	—	2.30	2.30
6. कर्नाटक . .	55.13	3.00	4.18	7.18
7. केरल . .	51.00	2.50	35.63	38.13
8. मध्य प्रदेश . .	81.07	2.38	41.75	44.13
9. महाराष्ट्र . .	68.69	3.63	29.50	33.13
10. नागालैण्ड . .	3.88	—	1.00	1.00
11. उड़ीसा . .	59.39	13.125	3.03	16.155
12. पंजाब . .	29.39	—	3.58	3.58
13. राजस्थान . .	432.58	8.38	331.27	339.65
14. तमिलनाडु . .	62.94	4.38	45.61	49.99
15. उत्तर प्रदेश . .	155.74	12.01	76.10	88.11
16. गोवा . .	0.64	—	—	—
जोड़ : .	1457.91	66.025	813.65	879.675